भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. †2423

सोमवार, 15 दिसंबर, 2025/24 अग्रहायण, 1947 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

हरित और पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहन

†2423. श्रीमती पूनमबेन माडमः

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश भर में हरित पर्यटन और पारिस्थितिकी पर्यटन को प्रोत्साहन देने के लिए कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार द्वारा पर्यावरण अनुकूल होटलों, टूर ऑपरेटरों और पर्यटन उद्यमों के लिए राष्ट्रीय प्रमाणन ढ़ांचा आरम्भ किया गया है या आरम्भ करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या सरकार ने देश में पर्यटकों की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पहल की है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री गजेन्द्र सिंह शेखावत)

(क) और (ख): पर्यटन मंत्रालय विभिन्न पहलों के माध्यम से भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। वर्तमान में चल रही गतिविधियों के हिस्से के रूप में, पारिस्थितिकी-पर्यटन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। पर्यटन मंत्रालय ने पारिस्थितिकी पर्यटन के विकास के लिए एक राष्ट्रीय कार्यनीति तैयार की है जिसे राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को परिचालित किया गया था।

(ग) और (घ): होटलों के स्टार वर्गीकरण के लिए जारी दिशानिर्देश, पर्यावरण हितैषी प्रथाओं, अर्थात (क) सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (ख) वर्षा जल संचयन (ग) अपशिष्ट प्रबंधन (घ) वायु, जल और प्रकाश के लिए प्रदूषण नियंत्रण विधि (ङ) प्रशीतन और एयर कंडीशनिंग के लिए गैर-सीएफसी उपकरणों का प्रयोग तथा वर्गीकरण हेतु अर्हता प्राप्त करने के लिए अन्य पर्यावरण-अनुकूल उपायों और पहलों को अनिवार्य बनाते हैं। मंत्रालय द्वारा स्थायी पर्यटन के लिए राष्ट्रीय कार्यनीति भी तैयार की गई और राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों को भेजी गई है। इस कार्यनीति के अनुरूप, पर्यटकों और पर्यटन व्यवसाय से जुड़े लोगों को स्थायी

पर्यटन प्रथाओं को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु 'ट्रैवल फॉर लाइफ (टीएफएल)' कार्यक्रम शुरू किया गया।

(ङ): पर्यटन मंत्रालय ने देश में पर्यटन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए विभिन्न पहलें की हैं। इसका विवरण निम्नानुसार है:

(i) पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा मुख्य रूप से राज्य का विषय है। तथापि, पर्यटन मंत्रालय पर्यटकों के लिए जमीनी सुरक्षा तंत्र को मज़बूत करने हेतु समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना हेतु सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के साथ लगातार इस मुद्दे को उठाता रहा है। पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने पर्यटक पुलिस तैनात की है।

(ii) पर्यटकों के लिए यात्रा को सुरक्षित और संरक्षित बनाने के लिए मंत्रालय के निरंतर प्रयासों के एक हिस्से के रूप में, पर्यटन मंत्रालय ने घरेलू और विदेशी पर्यटकों के लिए टोल फ्री नंबर 1800111363 या संक्षिप्त कोड 1363 पर 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश, इतालवी, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियाई, अरबी), हिंदी और अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में 24x7 बहुभाषी पर्यटक हेल्पलाइन की स्थापना की है, ताकि भारत में यात्रा से संबंधित जानकारी के संदर्भ में सहायता सेवा प्रदान की जा सके और भारत के भीतर यात्रा करते समय संकट में फंसे पर्यटकों को उचित मार्गदर्शन दिया जा सके।

(iii) सरकार ने एक समर्पित गैर-व्यपगत कॉर्पस कोष - निर्भया कोष की स्थापना की है, जिसका संचालन वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा किया जा रहा है और जिसका उपयोग विशेष रूप से महिलाओं की सुरक्षा एवं संरक्षा में सुधार के लिए तैयार की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है। पर्यटन मंत्रालय समय-समय पर सभी राज्य सरकारों और संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों से निर्भया कोष के अंतर्गत 'महिलाओं के लिए सुरक्षित पर्यटन स्थल' का लाभ उठाने का अनुरोध करता रहा है, जिसका उपयोग विशेष रूप से महिला पर्यटकों की सुरक्षा में सुधार हेतु डिज़ाइन की गई परियोजनाओं के लिए किया जा सकता है।

(iv) पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन के लिए आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय निवासियों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों की गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति जैसे मूलभूत अधिकारों के संबंध में पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहित करने के लिए दिशानिर्देशों का एक संग्रह है।

****